229

संख्या यू0ओ0– /XVIII(II)/2013

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून/ऊधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनःदिनांकः 8 अप्रैल मार्च, 2013

विषयः–उत्तराखण्ड राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत औषधालयों/चिकित्सालयों के निर्माण हेतु श्रम एवं सेवायोजन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित भूमि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार को रू0 1.00 वार्षिक लीज रेन्ट पर पट्टे के रूप में आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत औषधालयों/चिकित्सालयों के निर्माण हेतु ग्राम तरला नागल, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून तथा ग्राम जगतपुरा, तहसील किच्छा, जिला ऊधमसिंहनगर में क्रमशः 1.154 है0 तथा 05 एकड़ भूमि श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने विषयक क्रमशः शासनादेश संख्या 417/18(1)/2006 दिनांक 11.10.2006 एवं शासनादेश संख्या 1860/XVIII(II)/2010-3(71)/2010 दिनांक 15.11.2010 को अवक्रमित करते हुए तथा श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 11.10.2006 एवं 15.11.2010 द्वारा आवंटित भूमियों को सम्बन्धित शासनादेश संख्या 258/16(1)/73 राजस्व-1 दिनांक 09.05.1984 तथा शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–280 रा0 1 दिनांक 12.09.1997 के प्राविधानों में शिथिलता प्रदान करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार को रू0 1.00 के वार्षिक लीज रेन्ट पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, पट्टे पर आवंटित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा–6 दिनांक–09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नही होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

.....2

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) प्रश्नगत भूमि पर, वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत, नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(7) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या—1 से 6 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

2— दो अन्य प्रयोजनों के लिए औद्योगिक विकास विभाग द्वारा भूमि दी गयी है। अतः इस सम्बन्ध में औद्योगिक विकास विभाग के स्तर से यथानिर्णय पृथक से शासनादेश निर्गत किये जायेगें।

3— कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए, शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ०प०सं०—५.०-३४ /समदिनांकित/2013

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. आयुक्त, गढवाल मण्डल/कुमांऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. उप निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सी०आई०जी० मार्ग, नई दिल्ली।
6. निदेशक एन०आई०सी० उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।